सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
Ministry of Road Transport and Highways

मोटर यान
एग्रीगेटर दिशानिर्देश

2025

सामग्री की तालिका

प्रस्तावना 3

यह रिपोर्ट किसके लिए प्रासंगिक हो सकती है 4

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 5

1. परिभाषाएं 5

2. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता 7

3. केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल 8

4. लाइसेंस प्रदान करने या उनके नवीनीकरण के लिए आवेदन और उससे संबंधित मामले 8

5. लाइसेंस शुल्क 9

6. प्रतिभूति जमा राशि 9

7. लाइसेंस की वैधता, उसका नवीनीकरण और उससे संबंधित मामले 9

8. लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता 10

9. लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें 10

10. प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 11

11. ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन 12

12. परमिट 15

13. यानों के संबंध में अनुपालन 15

14. वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन 17

15. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन 19

16. एग्रीगेटर द्वारा अपनाई जाने वाली गैर-भेदभाव नीति 19

17. किराये का विनियमन 20

18. यात्रा निरस्त करना 21

19. जुर्माना 21

20. एग्रीगेटर्स द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन 21

21. दिव्यांगजन अनुकूल बेड़े को शामिल करना 21

22. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन 22

23. एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन) 22

24. एग्रीगेटर की लाईसेंस का निलंबन 22

25. एग्रीगेटर लाईसेंस को निरस्त करना और उसे वापस करना 24

26. अपील.....25

27. राज्य सरकार की शक्तियां.....26

प्रपत्र I 27

प्रपत्र II 29

प्रपत्र III.....31

प्रस्तावना

2020 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अंतर्गत "मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020" जारी किए थे। उक्त दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को सड़क परिवहन क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने और एग्रीगेटरों को विनियमित करने के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान किया गया।

2020 से भारत के साझा गतिशीलता परितंत्र (शेयर्ड मोबिलिटी इकोसिस्टम) में तेजी से और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बाइक-शेयरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की शुरूआत और ऑटो-रिक्शा की सवारी सहित विविध और सुनम्य मोबिलिटी समाधानों की मांग में वृद्धि से उपभोक्ता आधार व्यापक हो गया है। जैसे-जैसे यात्रा संबंधी प्राथमिकताएं विकसित हो रही हैं, एग्रीगेटर्स ने नवीन मॉडलों के माध्यम से इन नई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है।

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 को मोटर यान एग्रीगेटर परितंत्र में विकास के साथ नियामक ढांचे को अद्यतन रखने के लिए संशोधित किया गया है। नए दिशानिर्देशों में प्रयोक्ता की सुरक्षा और चालक (ड्राइवर) के कल्याण के मुद्दों पर ध्यान देते हुए कम से कम हस्तक्षेप वाली नियामक प्रणाली प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

राज्य सरकारें इन संशोधित दिशानिर्देशों को उनके जारी होने की तारीख से तीन (3) माह के भीतर अपना सकती हैं और इसमें निर्दिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी शामिल कर सकती हैं।

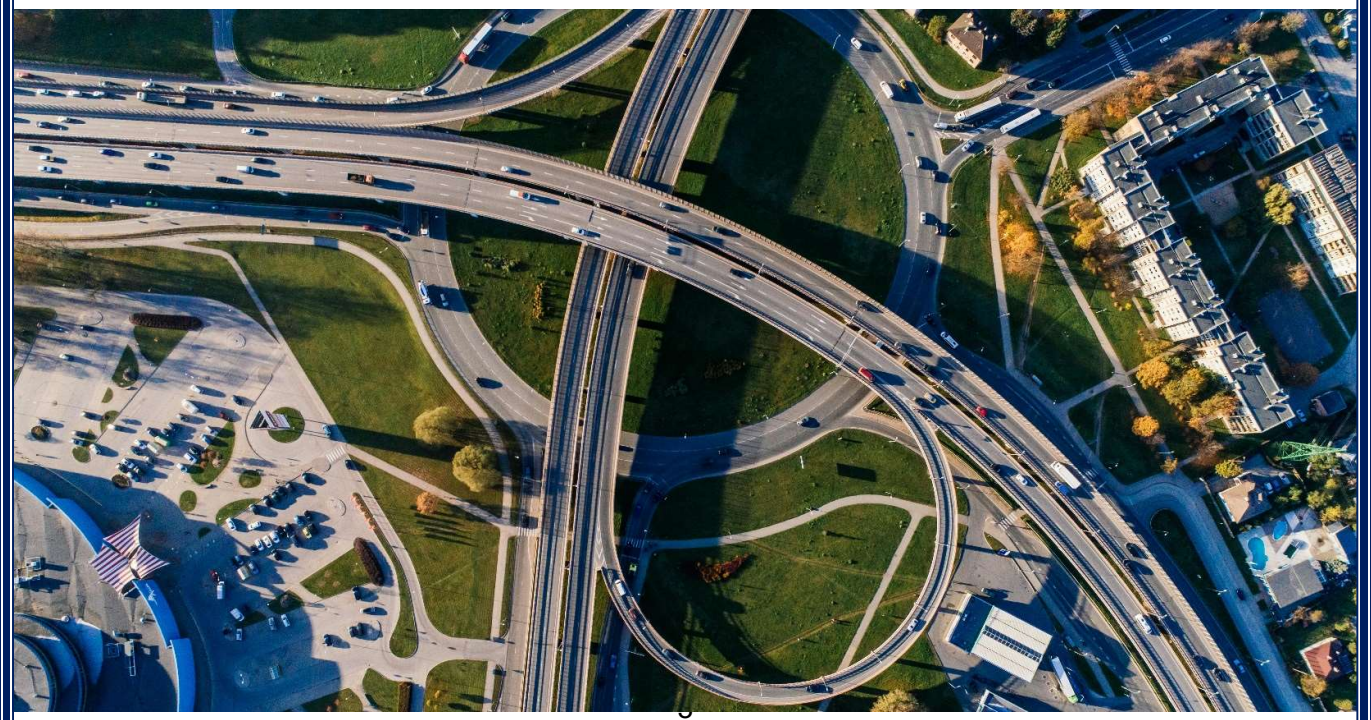

यह रिपोर्ट किसके लिए प्रासंगिक हो सकती है

1. परिभाषाएं

1.1.इन दिशानिर्देशों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**,-**

(क) "अधिनियम" मोटर यान अधिनियम, 1988 से अभिप्रेत है।

(ख) "एग्रीगेटर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1क) के अंतर्गत दिया गया है।

(ग) "ऐप" किसी एग्रीगेटर द्वारा विकसित एवं अनुरक्षित डिजिटल एप्लीकेशन से अभिप्रेत है।

(घ) "आवेदन शुल्क" इन दिशानिर्देशों के खंड 4 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में प्रभार से अभिप्रेत है।

(ङ) "विभाजित किराया" किराये के उस भाग से अभिप्रेत है, जो एग्रीगेटर द्वारा तय किया जाता है।

(च) "सक्षम प्राधिकारी" राज्य सरकार के ऐसे प्राधिकारी से अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करता है।

(छ) "अनुबंध" एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच समझौते से अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे एग्रीगेटर के ऐप के माध्यम से यात्री को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट किया जाता है।

(ज) "नाम निर्दिष्ट पोर्टल" इन दिशानिर्देशों के खंड 3 के अंतर्गत स्थापित और अधिसूचित पोर्टल से अभिप्रेत है।

(झ) "ड्राइवर किराया" का तात्पर्य यात्रा के दौरान ऐप के माध्यम से यात्री को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एग्रीगेटर द्वारा ड्राइवर को देय किराए का ऐसा हिस्सा, जिसमें ड्राइवर द्वारा भुगतान किया गया टोल और पार्किंग शुल्क शामिल है।

(ञ) "डायनेमिक मूल्य निर्धारण" का तात्पर्य एग्रीगेटर के किराए के किराया एल्गोरिदम का आउटपुट है, जो यात्रा की कीमत तब बढ़ा देता है जब यात्राओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है।

(ट) "किराया" का तात्पर्य किसी यात्रा के लिए ऐप के माध्यम से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्री द्वारा ड्राइवर या एग्रीगेटर, जैसा भी मामला हो, को देय कुल शुल्क होगा, जिसमें टोल की लागत, कर और पार्किंग शुल्क, जो भी लागू हो, शामिल हैं।

(ठ) "प्रपत्र" इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है।

(ड) "शिकायत निवारण अधिकारी" किसी यात्री या चालक की शिकायत के निवारण के लिए एग्रीगेटर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(ढ) "प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम" इन दिशानिर्देशों के खंड (10) में निर्दिष्ट प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से अभिप्रेत है।

(ण) "यात्रा" से प्रस्थान के स्थान से गंतव्य तक निर्दिष्ट तारीख और समय पर की गई यात्रा से अभिप्रेत है, फिर चाहे वह यात्रा की गई हो या नहीं और इसमें यात्रा योजना के लिए उपयोग किए जा रहे मोटर यान का प्रकार या श्रेणी शामिल होगी।

(त) "लाइसेंस" अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत एग्रीगेटर को जारी किया गया लाइसेंस से अभिप्रेत है।

(थ) "लाइसेंस शुल्क" इन दिशानिर्देशों के खंड 5 के अंतर्गत देय शुल्क से अभिप्रेत है।

(द) "ऑन-बोर्ड" से इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों और वाहनों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(ध) "ऑफ-बोर्ड" इसके व्याकरणिक रूपांतरों सहित एग्रीगेटर द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर और वाहन का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(न) "यात्री" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो यात्रा करने के लिए एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करता है।

(ऩ) "रेटिंग" एग्रीगेटर द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर यात्री द्वारा की गई यात्रा की गुणवत्ता के मूल्यांकन से अभिप्रेत है।

(प) "पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम और मूल्यांकन" एग्रीगेटर के साथ एकीकृत ड्राइवरों के लिए व्यक्तिगत रूप से और आभासी प्रशिक्षण सत्रों में दिया गया कम से कम अड़तालीस (48) घंटे की अवधि का प्रशिक्षण सत्र और 10 घंटे की अवधि के एक निरंतर सत्र से अभिप्रेत है।

(फ) "प्रतिभूति जमा" उस राशि से अभिप्रेत है, जो एग्रीगेटर द्वारा देय है, जिसे लाइसेंस शुल्क के साथ बैंक गारंटी या बीमा जमानत बांड के रूप में प्रस्तुत किया जाना है।

1.2. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित और उल्लिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

2. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

2.1. ये दिशानिर्देश किसी भी राज्य के भीतर संचालित किसी भी एग्रीगेटर पर लागू होंगे।

2.2. ये दिशानिर्देश उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो स्वयं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त एग्रीगेटर्स के लिए एक अंतर-संचालनीय नेटवर्क के प्रावधान तक सीमित रखते हैं और ड्राइवरों या मोटर वाहनों या दोनों को सीधे तौर पर शामिल नहीं करते हैं।

2.3. ये दिशानिर्देश उन संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जो सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा करने की टिकटों की बिक्री का कार्य करती हैं।

3. केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल

केंद्र सरकार लाइसेंस के लिए आवेदन की एकल खिड़की अनुमोदन के लिए एक पोर्टल विकसित और नामित करेगी, जिसमें उचित आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति जमा की प्राप्ति शामिल होगी:

बशर्ते कि जब तक यह पोर्टल विकसित और चालू नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकारें मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करेंगी।

4. लाइसेंस प्रदान करने या उनके नवीनीकरण के लिए आवेदन और उससे संबंधित मामले

4.1. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, नीचे खंड **8** के अंतर्गत उल्लिखित मानदंडों के अंतर्गत पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त खंड **3** के अंतर्गत निर्दिष्ट पोर्टल पर, प्रपत्र **1** में किया जाएगा। इस आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रमाण संलग्न करना होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

4.2. एग्रीगेटर द्वारा उसके द्वारा संचालित सभी या किसी भी प्रकार या वर्ग के मोटर वाहनों के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा।

4.3. राज्य के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

4.4. उप-खण्ड (**4.1)** के अंतर्गत किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र-**1** में ऐसे आवेदन की तारीख से नब्बे (**90)** दिन की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

4.5. यदि आवेदक इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्दिष्ट लाइसेंस प्रदान करने की किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो वह एग्रीगेटर का पक्ष सुनने के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

4.6. इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को तीस (**30)** दिनों की अवधि के भीतर उचित लाइसेंस शुल्क का भुगतान और प्रतिभूति जमा करने का निर्देश देगा।

4.7. लाइसेंस शुल्क के भुगतान और प्रतिभूति जमा होने पर, सक्षम प्राधिकारी भुगतान की तारीख से पंद्रह (**15**) दिनों की अवधि के भीतर, इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र **III** में आवेदक को लाइसेंस प्रदान करेगा।

4.8. इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाएगा।

5. लाइसेंस शुल्क

एग्रीगेटर द्वारा देय लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	विवरण	धनराशि रुपए में
1	एग्रीगेटर को लाइसेंस प्रदान करना	5,00,000
2	लाइसेंस का नवीनीकरण	25,000
3	लाइसेंसधारी के पते में परिवर्तन को नोट करने के लिए	25,000

6. प्रतिभूति जमा राशि

एग्रीगेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिभूति जमा राशि निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	विवरण	धनराशि रुपए में
1	100 बसें या 1000 अन्य मोटर यान तक	10,00,000
2	1000 बसें या 10000 अन्य मोटर यान तक	25,00,000
3	1000 से अधिक बसें या 10000 अन्य मोटर यान	50,00,000

7. लाइसेंस की वैधता, उसका नवीनीकरण और उससे संबंधित मामले

7.1. कोई भी लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से पांच (**5**) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

7.2. इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न प्रपत्र **II** में आवेदन के अनुसार, नवीनीकरण की शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पांच (**05**) वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है। ऐसे नवीनीकरण के प्रयोजनार्थ, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की जांच करेगा:

(क) इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में एग्रीगेटर का रिकॉर्ड, और

(ख) जिस राज्य में आवेदन किया गया है, वहां एग्रीगेटर के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई।

8. लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता

8.1. आवेदक, कंपनी अधिनियम, **2013** के तहत पंजीकृत कंपनी या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, **2008** के तहत सीमित देयता भागीदारी या ड्राइवरों या मोटर वाहन मालिकों के संघ द्वारा गठित सहकारी समिति होगी और सहकारी समिति अधिनियम, **1912** के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होगी।

8.2. आवेदक को लागू कानून का अनुपालन करना होगा, जिसमें अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, **2023**, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **2019** और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, **2000** और इसके आंतर्गत जारी मध्यस्थ दिशानिर्देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

9. लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले एग्रीगेटर को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:

9.1. एग्रीगेटर किसी ड्राइवर को नियुक्त करने से पहले तथा इन दिशा-निर्देशों के जारी होने से पहले नियुक्त किए गए ड्राइवरों के लिए भी खंड **10** के अंतर्गत विस्तृत रूप से बताए गए अनुसार एक परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा या करवाएगा।

9.2. एग्रीगेटर को सक्षम प्राधिकारी को सेवाओं के प्रारंभ की लिखित सूचना देनी होगी और लाइसेंस प्रदान किए जाने की तारीख से छह (**6**) महीने की अवधि के भीतर इसे अद्यतन करना होगा, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

9.3. सेवाएं प्रारंभ होने से बहत्तर (**72**) घंटे पहले, एग्रीगेटर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा और उक्त सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

9.4. स्वास्थ्य या जन सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, का एग्रीगेटर और ऑन-बोर्ड ड्राइवरों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

9.5. एग्रीगेटर को यात्रियों के लिए न्यूनतम **5** लाख रुपये की बीमा राशि सुनिश्चित करनी होगी।

9.6. एग्रीगेटर ऑन-बोर्डेड ड्राइवरों को कई एग्रीगेटरों के साथ संचालन करने से रोकेगा नहीं या प्रतिबंधित नहीं करेगा।

9.7. एग्रीगेटर को ऐप में ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए एक कार्यतंत्र विकसित करना होगा, जिससे यात्रा के समग्र अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके।

9.8. एग्रीगेटर, वैध अनुबंध कैरिज परमिट वाले और ऑन-बोर्ड होने के इच्छुक मोटर यान को एग्रीगेटर के साथ ऑन-बोर्ड होने की अनुमति देगा, बशर्ते कि इन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक खंडों का अनुपालन किया जाए।

9.9. विगत एक वर्ष में एग्रीगेटर का लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ होना चाहिए।

9.10. एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान करेगा और प्राप्त शिकायतों का विवरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा। शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण अर्थात् नाम, ई-मेल पता और टेलीफोन नंबर एग्रीगेटर द्वारा अपने ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

10. प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.1. ड्राइवरों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कम से कम चालीस (**40**) घंटे की अवधि का होगा, जिसमें व्यक्तिगत और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन शामिल होगा। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण एग्रीगेटर द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में ड्राइवरों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाएगा:

(क) एग्रीगेटर के ऐप का उपयोग करना;

(ख) संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधान;

(ग) मोटर यान (चालन) विनियम 2017;

(घ) सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आपात स्थिति में कार्रवाई करने और सहायता प्रदान करने के लिए कम से कम छह (6) घंटे का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (रीस्पांडर) प्रशिक्षण;

(ङ) सावधानीपूर्वक ड्राइविंग, यातायात नियम, मोटर यान का रखरखाव, ईंधन कुशल ड्राइविंग, आचरण और व्यवहार पर;

(च) मार्गों से परिचित होने पर;

(छ) ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच सहमति की शर्तों पर;

(ज) लैंगिक संवेदनशीलता और दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता और गतिशीलता आवश्यकताओं पर विशेष प्रशिक्षण;

(झ) ऐसा अन्य प्रशिक्षण जिसकी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

10.2. एग्रीगेटर को निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रेरण प्रशिक्षण संरचना का विवरण अपलोड करना होगा।

11. ड्राइवरों के संबंध में अनुपालन

11.1. ड्राइवरों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ, एग्रीगेटर को यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाए, अर्थात्:

(क) कि चालक के पास केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) के नियम 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज़ के आधार पर किसी भी पहचान का वैध प्रमाण हो;

(ख) कि चालक के पास संबंधित यान के प्रकार या श्रेणी के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसके अंतर्गत संबंधित वाहन ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान आता हो;

(ग) कि चालक के पास अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुभव हो;

(घ) ड्राइवर के नाम पर वैध बैंक खाता हो;

(ङ) विगत तीन (3) वर्षों के भीतर चालक को निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, अर्थात्:

(i) मादक पदार्थों या शराब के नशे में वाहन चलाने का अपराध, और

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जैसा लागू हो) के तहत कोई भी संज्ञेय अपराध,जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने वाला अपराध, हिंसा के कृत्य, आतंक के कृत्य या उपद्रव या जनता के लिए खतरा पैदा करने वाले कृत्य शामिल हैं;

(च) कि चालक एग्रीगेटर द्वारा पहचाने गए अस्पताल या चिकित्सा संस्थान द्वारा नेत्र जांच सहित फिटनेस के लिए चिकित्सा परीक्षण करवाना;

(छ) कि एग्रीगेटर द्वारा ड्राइवर का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह ऑन बोर्ड के लिए फिट है या नहीं;

(ज) कि ऑन-बोर्डिंग से कम से कम सात (7) दिन पहले ड्राइवर के चरित्र और उसके पहले के जीवन को पुलिस द्वारा सत्यापित किया जाना और एग्रीगेटर ऐसे सत्यापन का लिखित रिकॉर्ड रखेगा;

(झ) कि एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच एक वैध अनुबंध निष्पादित करना, जिसमें राज्य की भाषा में ऑन बोर्डिंग और यान चलाने के लिए लागू नियम और शर्तें निर्दिष्ट हों। एग्रीगेटर द्वारा मानक नियम और शर्तें अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।

बशर्ते कि सम्पूर्ण अवधि के लिए उपरोक्त शर्तों का अनुपालन एग्रीगेटर द्वारा धारित लाइसेंस की अवधि के साथ समाप्त हो जाएगा।

11.2. ड्राइवरों के कल्याण के लिए**,** एग्रीगेटर को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा**,** अर्थात्:

(क) प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक ड्राइवर के लिए प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

(ख) प्रत्येक ड्राइवर के लिए कम से कम 10 लाख रुपये का आवधिक बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिशत के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

(ग) बशर्ते कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान उप-खंड (क) और उप-खंड (ख) के संबंध में अधिसूचित और कार्यान्वित होने पर यह लागू होंगे।

(घ) आंतरिक संसाधनों या अन्य संस्थाओं के सहयोग से व्यक्तिगत और आभासी प्रशिक्षण सत्रों के संयोजन के रूप में वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और ऐसे पुनश्चर्या प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखना।

(ङ) बशर्ते कि एग्रीगेटर के साथ कार्य की अवधि के संदर्भ में समान स्थिति वाले सभी ड्राइवरों में से जिन ड्राइवरों की रेटिंग 5 प्रतिशत से कम है, उन्हें प्रत्येक तिमाही में अनिवार्य रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा, ऐसा नहीं करने पर ड्राइवर, एग्रीगेटर के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा।

(च) यदि किसी यात्री द्वारा अधिनियम, नियमों या इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो शिकायत दर्ज होने के दिन से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर एग्रीगेटर द्वारा जांच की जाए और ऐसी जांच पूरी होने के बाद ही चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। एग्रीगेटर जांच पूरी होने पर यात्री को उसके परिणाम के बारे में सूचित करेगा।

11.3. एग्रीगेटर ऑन-बोर्डेड ड्राइवरों से संबंधित दस्तावेजों**,** जो सारथी पोर्टल से विधिवत प्रमाणित होंगे और ऐसे अन्य दस्तावेज जिन्हें एग्रीगेटर उचित समझे का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा**,** जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) एक फोटो;

(ख) ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति;

(ग) सीएमवीआर में निर्दिष्ट पते के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ आवासीय पता प्रस्तुत करना;

(घ) बैंक खाते का सत्यापित विवरण;

(ङ) दो आपातकालीन संपर्क सूत्रों के नाम और पते के साथ संपर्क नंबर ।

12. परमिट

एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मोटर यानों में चालक सहित अधिनियम के लागू प्रावधानों के अंतर्गत समुचित परमिट हो।

13. यानों के संबंध में अनुपालन

13.1. एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन-बोर्डेड ड्राइवरों से संबद्ध मोटर यान निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हों:

(क) वैध पंजीकरण हो;

(ख) अधिनियम के अनुसार वैध फिटनेस प्रमाणपत्र हो;

(ग) सीएमवीआर में निर्दिष्टानुसार पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना;

(घ) वैध तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी हो ;

(ङ) केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अंतर्गत आवश्यक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हो।

(च) ऐसे उत्सर्जन मानदंड जो राज्य सरकार द्वारा राज्य या राज्य के किसी शहरी क्षेत्र के लिए, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट किए गए हों;

(छ) शहर विशिष्ट ईंधन मानदंड;

(ज) लागू मोटर यान कर और अन्य बकाया का भुगतान किया हो;

(झ) मोटर यान पर अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अपराधों और उल्लंघनों से संबंधित कोई भी बकाया चालान ना हो;

(ञ) मोटर यान (मोटरसाइकिलों को छोड़कर) के अंदर ड्राइवर के लाइसेंस और मोटर वाहन परमिट (यदि लागू हो) की एक प्रति प्रदर्शित करें। उक्त प्रति ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट के पीछे की ओर इस तरह से प्रदर्शित होनी चाहिए कि मोटर यान में बैठे यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे;

(ट) सीएमवीआर के नियम 125ज के तहत अनिवार्य रूप से एआईएस 140 के अनुरूप कार्यात्मक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या सिस्टम, एक पैनिक बटन के साथ सुसज्जित हो और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र पर उपलब्ध वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक फीड के साथ एग्रीगेटर के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा हुआ हो;

(ठ) लागू कानून के अनुसार चाइल्ड लॉक मैकेनिज्म को निष्क्रिय कर दिया हो (तीन पहिया वाहनों, मोटर साइकिलों और बसों को छोड़कर);

(ड) केंद्रीय लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड सक्रिय किया गया हो (लागू कानून के अनुसार तीन पहिया वाहनों, मोटर साइकिलों, बसों को छोड़कर);

(ढ) मोटर यान (मोटर साइकिलों को छोड़कर) के अंदर उपयुक्त क्षमता का अग्निशमन यंत्र रखा गया हो;

(ण) मोटर यान के अंदर एक प्राथमिक चिकित्सा किट रखी हो।

13.2. एग्रीगेटर ऐसे वाहनों को शामिल नहीं करेगा**,** जो वाहन के प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अपने वाहन में शामिल सभी वाहनों को उनके प्रारंभिक पंजीकरण की तारीख से आठ वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो।

13.3. एग्रीगेटर को अपने द्वारा संचालित सभी मोटर वाहनों के निम्नलिखित दस्तावेजों और अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव करना होगा तथा वाहन पोर्टल पर वास्तविक समय के आधार पर इस डेटा को प्रमाणित करना होगा:

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ख) अधिनियम के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र;

(ग) चेसिस और इंजन नंबर;

(घ) तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी;

(ङ) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र; तथा

(च) ऑन-बोर्डिंग से पहले लंबित ई-चालानों की संख्या और ऑन-बोर्डिंग से पहले उनका निपटान।

14. वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन

14.1. एग्रीगेटर अपने स्वामित्व, पंजीकृत पते, किराया संरचना, ग्राहक सेवाओं के लिए संपर्क की जानकारी, ई-मेल पता, इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों को दर्शाते हुए एक वेबसाइट को विकसित और इसका अनुरक्षण करेगा।

14.2. ऐप को इस तरह से विकसित किया जाएगा कि यह लागू कानून के अनुरूप हो।

14.3. ऐप अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, वहां की आधिकारिक भाषा में उपलब्ध होगा।

14.4. एग्रीगेटर के ऐप की भेद्यता और साइबर सुरक्षा को सीईआरटी-इन द्वारा मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

14.5. यात्रा का विवरण, यात्रियों का विवरण और किराया सहित परंतु इन्हीं तक सीमित न रहते हुए डेटा एग्रीगेटर के ऐप पर तैयार किया जाएगा और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, **2023** सहित लागू नियमों के अनुसार संग्रहीत किया जाएगा।

14.6. चालक को दिए जाने वाले किराए और प्रोत्साहनों के हिस्से का अनुपात, चालक किराया और विभाजित किराया विवरण और अन्य जानकारी, जैसा भी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप में अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

14.7. ऐप में एक ऐसी सुविधा शामिल होगी, जो यात्रियों को यात्रा पूरी होने तक अपनी लाइव लोकेशन (अवस्थिति) और यात्रा की स्थिति साझा करने में सक्षम बनाएगी, उसके बाद लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

14.8. ऐप में विशेष सुविधाएं शामिल होंगी, जो इसे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाती हैं।

14.9. ऐप एग्रीगेटर के द्वारा ऐप पर ऑन-बोर्ड (सवार) चालक की स्पष्ट और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदर्शित करेगा।

14.10. एग्रीगेटर ड्यूटी पर रहने के दौरान ऑन-बोर्ड चालकों के लिए मादक पदार्थ या अल्कोहल के उपयोग के लिए कठोर (जीरो टॉलरेंस) नीति तैयार करेगा और उसे लागू करेगा। एग्रीगेटर अपनी नीति और इस संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अपनी वेबसाइट और अपने ऐप पर अपलोड करेगा। एग्रीगेटर अपनी कठोर (जीरो टॉलरेंस) नीति के उल्लंघन के आरोप वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच लंबित रहने तक चालक को तुरंत और तत्काल ऑफ-बोर्ड कर देगा। एग्रीगेटर द्वारा जांच की अवधि के दौरान निलंबन जारी रहेगा।

14.11. यात्रा करने वाले चालक की संपर्क संबंधी जानकारी यात्रा की समाप्ति से कम से कम सात (**7**) दिनों के लिए ऐप के माध्यम से यात्री को उपलब्ध होगी**;**

14.12. एग्रीगेटर **24x7** संचालन के साथ एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऑनबोर्ड किए गए सभी मोटर वाहन नियंत्रण कक्ष के साथ निर्बाध संपर्क बनाए रखें। नियंत्रण कक्ष मोटर वाहनों और उसमें सवार चालकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा।

14.13. एग्रीगेटर एक सक्रिय टेलीफोन नंबर और ई-मेल पते के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा**,** जो इसकी वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा**,** जो **24x7** चालू रहेगा और अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य की आधिकारिक भाषा में सहायता प्रदान करेगा। ये कॉल सेंटर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे:

(क) यात्री और/या चालक या किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा या सवार चालक आदि से संबंधित मुद्दों के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करने में सक्षम बनाना;

(ख) यात्री की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करना।

14.14. मोटर वाहन या एग्रीगेटर द्वारा दिए गए सवार चालक से जुड़ी दुर्घटना या घटना की जांच करने वाले विधिवत अधिकृत अधिकारियों के साथ एग्रीगेटर सहयोग करेगा।

15. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन

एग्रीगेटर यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:

15.1. मोटर वाहनों में संस्थापित वाहन की अवस्थिति और ट्रैकिंग डिवाइस, जैसा भी लागू हो, ठीक से कार्य करते हैं और इससे सूचना प्राप्त होती है और साथ ही राज्य सरकार के इंटेग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी हुई हो।

स्पष्टीकरण: इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनों के लिए, वाहन की अवस्थिति (लोकेशन) का पता लगाने वाले उपकरणों में मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों सहित सभी मोटर वाहनों के लिए इन-ऐप अवस्थिति ट्रैकिंग शामिल होगी।

15.2. चालक ऐप में बताए गए मार्ग का अनुसरण करेगा। एक अंतर्निहित कार्य तंत्र के माध्यम से और किसी भी विचलन के मामले में, ऐप नियंत्रण कक्ष को संकेत देगा, जो तुरंत चालक और यात्री से संपर्क करेगा।

15.3. यात्रियों की सुरक्षा, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों की सुरक्षा और लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

15.4. ऐप पर एक कार्य तंत्र दिया जाए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यात्रा करने वाले चालक की पहचान ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा पंजीकृत और सत्यापित की गई पहचान के समान है या नहीं।

15.5. ऑन-बोर्ड किए गए मोटर वाहनों की एग्रीगेटर द्वारा अधिकृत कर्मियों द्वारा नियमित जांच की जाती है।

16. एग्रीगेटर द्वारा अपनाई जाने वाली गैर-भेदभाव नीति

एग्रीगेटर, ऑन-बोर्ड किए गए चालकों या ऐसे ऑन-बोर्ड किए गए चालकों को मोटर वाहन उपलब्ध कराने वाले किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के बराबर मानेगा।

17. किराये का विनियमन

17.1. मोटर वाहनों की संबंधित श्रेणी या वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किराया, एग्रीगेटर से सेवाएँ प्राप्त करने वाले यात्रियों से वसूला जाने वाला आधार किराया होगा।

17.2. बिना यात्री के यात्रा की गई दूरी और यात्रा की दूरी और यात्री(ओं) को लेने के लिए उपयोग किए गए ईंधन सहित डेड माइलेज की भरपाई के लिए न्यूनतम तीन (**3**) किलोमीटर के लिए लगाया गया आधार किराया होगा।

17.3. एग्रीगेटर को आधार किराए से न्यूनतम **50%** कम और उप-खंड (**17.1**) के तहत विनिर्दिष्ट आधार किराए का अधिकतम दो गुना गतिशील मूल्य निर्धारण करने की अनुमति होगी।

17.4. एग्रीगेटर के साथ मोटर वाहन के साथ ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक के किराए के तहत सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम **80%** प्राप्त होगा और शेष शुल्क एग्रीगेटर द्वारा आबंटित किराए के रूप में रखा जा सकता है। चालक और एग्रीगेटर के बीच समझौते के अनुसार भुगतान दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं।

17.5. एग्रीगेटर के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के संबंध में ऑनबोर्ड किए गए चालक को चालक किराए में विनिर्दिष्ट सभी लागतों सहित लागू किराए का कम से कम **60%** प्राप्त होगा और शेष शुल्क विभाजित किराए के रूप में रखा जाएगा।

17.6. उप-खंड (**17.4**) या (**17.5**) के तहत कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य परिदृश्य के संबंध में, चालक को एग्रीगेटर के साथ अपने समझौते के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा।

17.7. उन राज्यों में जहां किराया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, किराया विनियमन के प्रयोजनों के लिए एग्रीगेटर द्वारा आधार किराया राज्य सरकार को अधिसूचित किया जा सकता है और जब तक राज्य सरकार किराया निर्धारित नहीं करती है, तब तक इसका पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, राज्य में एग्रीगेशन के लिए अनुमत अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

17.8. किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि सवारी का लाभ उठाने की दूरी उप-खंड (**17.2**) के तहत उल्लिखित तीन (**3**) किलोमीटर से कम हो और किराया केवल यात्रा के आरंभ बिंदु से गंतव्य बिंदु तक लिया जाएगा जहां यात्री को छोड़ा जाता है।

18. यात्रा निरस्त करना

18.1. ऐप पर यात्रा स्वीकार करने के बाद चालक द्वारा बुकिंग निरस्त करने पर, किराए का **10%** जुर्माना लगाया जाएगा जो **100** रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा निरस्तीकरण एग्रीगेटर द्वारा वैध कारण के बिना किया गया हो और एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत और विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

18.2. ऐप पर यात्रा बुक करने के बाद यात्री द्वारा बुकिंग निरस्त करने पर, किराए का **10%** जुर्माना लगाया जाएगा जो **100** रुपये से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा निरस्तीकरण एग्रीगेटर की वेबसाइट और ऐप पर विधिवत और विशेष रूप से उल्लेख किए बिना किया गया हो। ऐसी किराया राशि चालक और एग्रीगेटर के बीच उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा कि इन दिशानिर्देशों के खंड **15** के तहत बताया गया है।

19. जुर्माना

यदि कोई जुर्माना, जैसा कि ऊपर खंड 18 के तहत प्रावधान किया गया है, चालक या एग्रीगेटर पर लगाया जाता है, तो उसे चालक या एग्रीगेटर के खंड 17 में विनिर्दिष्ट संबंधित हिस्से से काट लिया जाएगा।

20. एग्रीगेटर्स द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन

राज्य सरकार एग्रीगेटर्स को निर्देश दे सकती है कि वे अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाहनों का प्रतिशत वार्षिक आधार पर क्रमिक रूप से बढ़ाएँ।

21. दिव्यांगजन अनुकूल बेड़े को शामिल करना

राज्य सरकार राज्य में आवश्यक दिव्यांगजन अनुकूल मोटर वाहनों की पर्याप्त संख्या निर्धारित करेगी और एग्रीगेटर्स को निर्देश देगी कि वे अपने बेड़े में आनुपातिक रूप से ऐसे वाहनों को शामिल करें।

22. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन

एग्रीगेटर को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। लक्ष्य वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक उपयुक्त सरकारी संगठन या राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएँगे।

23. एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों का एकत्रीकरण (एग्रीगेशन)

23.1. राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से साझा मोबिलिटी के रूप में यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुमति दे सकती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात की भीड़भाड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ वहनीय यात्री मोबिलिटी, हाइपरलोकल डिलीवरी और आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे।

23.2. राज्य सरकार अधिनियम की धारा **67** की उप-धारा **(3)** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यात्रियों द्वारा यात्रा के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति दे सकती है।

23.3. राज्य सरकार अधिनियम की धारा **67** की उप-धारा **(3)** के तहत एग्रीगेटर पर गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों को ऐसे एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देने वाले प्राधिकरण जारी करने के लिए दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर शुल्क लगा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

23.4. इस खंड के अंतर्गत एग्रीगेटर द्वारा चालकों की ऑन-बोर्डिंग इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुपालन को पूरा करेगी।

24. एग्रीगेटर की लाईसेंस का निलंबन

24.1. एग्रीगेटर को दिये गए लाईसेंस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों से ("निलंबन आदेश"), या तो स्वयं या एग्रीगेटर के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के बाद निलंबित किया जा सकता है।

24.2. निलंबन की अवधि तीन **(3)** महीने तक बढ़ाई जा सकती है।

24.3. निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एग्रीगेटर को ऐसी शिकायत प्राप्त होने या कार्रवाई शुरू होने के दस (**10**) दिनों के भीतर सुनवाई किये जाने के बाद पारित किया जाएगा।

24.4. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों को लाईसेंस के निलंबन के आधार के रूप में माना जाएगा:

(क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित त्रैमासिक रेटिंग मापदंडों के तर्कसंगत विश्लेषण के माध्यम से यात्री और/या चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एग्रीगेटर की विफलता; या

(ख) यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के संबंध में लगातार मामले, डायनामिक किराए को अनुचित रूप से लगाना, ड्राइवरों और एग्रीगेटर के बीच किराए के आनुपातिक विभाजन के लिए दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना, ड्राइवरों पर निराधार शुल्क लगाना; या

(ग) ड्राइवरों के साथ अनुबंध में निहित दायित्वों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता; या

(घ) इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में एग्रीगेटर की विफलता;

(ङ) यात्रियों की सुरक्षा और/या ड्राइवरों के हित को खतरे में डालना;

(च) एग्रीगेटर द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं होती हैं;

(छ) एग्रीगेटर के खातों की लेखापरीक्षा के माध्यम से प्राप्त वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता; और

(ज) कोई अन्य पैरामीटर जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित और उपयुक्त समझना।

बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि एग्रीगेटर का लाईसेंस निलंबित करना समीचीन या व्यवहार्य नहीं होगा, तो वह ऐसे एग्रीगेटर पर जुर्माना निर्धारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है, जो कथित उल्लंघन की मात्रा और गंभीरता के आधार पर एक (**1**) करोड़ रुपये तक होगा, लेकिन एक (**1**) लाख रुपये से कम नहीं होगा।

24.5. जब लाईसेंस को निलंबित किया जाता है**,** तो एग्रीगेटर लाईसेंस के तहत सभी परिचालनों को तुरंत रोक देगा जब तक कि निलंबन निरस्त नहीं हो जाता या निलंबन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

(क) निलंबन की अवधि समाप्त होने से पहले, एग्रीगेटर लिखित रूप में वचनबद्धता के माध्यम से यह वचनबद्धता देगा कि निलंबन आदेश के तहत निर्दिष्ट उसके निलंबन के आधार समाप्त हो गए हैं।

(ख) सक्षम प्राधिकारी इसके बाद निलंबन आदेश पारित करने के आधारों के समाधान और एग्रीगेटर द्वारा वचनबद्धता की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए एक और आदेश पारित करेगा।

(ग) इसके बाद, एग्रीगेटर एक अवधि के लिए परिचालन फिर से शुरू करेगा जो दो (2) माह से कम नहीं होगी, परंतु छह (6) महीने तक बढ़ाई जा सकती है, ("परिवीक्षा अवधि") जिसके दौरान, एग्रीगेटर परिचालन जारी रखेगा और इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इस अवधि के दौरान कोई भी उल्लंघन जो लाईसेंस के निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है, खंड (25) के तहत लाईसेंस को सीधे निरस्त कर सकता है।

25. एग्रीगेटर लाईसेंस को निरस्त करना और उसे वापस करना

25.1. जहां**,**

(क) एग्रीगेटर ने तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर अपना लाईसेंस निलंबित कर दिया है और खंड 24 के तहत एक और उल्लंघन किया है जो निलंबन के लिए कार्रवाई का कारण बन सकता है; या

(ख) एग्रीगेटर ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है या करवाया है, जो इस तरह की गंभीर प्रकृति का है कि यात्री या चालक की सुरक्षा को खतरा हो।

सक्षम प्राधिकारी ऐसे एग्रीगेटर को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि उन्हें दिये गए लाईसेंस को निरस्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

25.2. सक्षम प्राधिकारी, उपर्युक्त खंड (**25.1**) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने के दस (**10**) दिनों के भीतर एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकेगा और उसके बाद तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से लाईसेंस निरस्त करने या अन्यथा निर्णय ले सकेगा तथा ऐसे समाप्ति को अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के संज्ञान में ला सकेगा।

25.3. जहां लाईसेंस निरस्त किया जाता है, एग्रीगेटर लाईसेंस के तहत सभी परिचालन तुरंत बंद कर देगा।

25.4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षा जमा जब्त हो जाएगी।

25.5. एग्रीगेटर किसी भी समय स्वेच्छा से लाईसेंस सरेंडर कर सकता है और ऐसे सरेंडर पर, बकाया राशि, यदि कोई हो, के कारण कटौती के बाद सुरक्षा जमा एग्रीगेटर को वापस कर दी जाएगी।

26. अपील

26.1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश से व्यथित एग्रीगेटर, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस (**30**) दिनों के भीतर, विवादित आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

26.2. अपील ज्ञापन के रूप में होगी, जिसमें अपील के आधारों को स्पष्ट किया जाएगा और उसके साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपील के लिए अपेक्षित शुल्क और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

26.3. अपीलीय प्राधिकारी एग्रीगेटर को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा अपील दायर करने की तिथि से **60** दिनों की अवधि के भीतर अपील पर निर्णय करेगा।

26.4. अपील पर निर्णय करते समय अपीलीय प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

27. राज्य सरकार की शक्तियां

27.1. राज्य सरकार लिखित नोटिस के माध्यम से एग्रीगेटर से ऐसी सूचना दस्तावेज या अभिलेख मांगने के लिए सशक्त होगी, जैसा वह एग्रीगेटर द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे। मांगी गई सूचना में एग्रीगेटर के विरुद्ध जांच करने की शक्ति भी शामिल होगी।

27.2. राज्य सरकार एग्रीगेटर को वाहन तथा सारथी पोर्टल के माध्यम से शामिल किए गए वाहनों, चालकों तथा वाहन मालिकों के विवरण को प्रमाणित करने हेतु सक्षम बनाएगी।

प्रपत्र I

[खंड 4.1 देखें]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाईसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन

सेवा में,

[पदनाम],
[राज्य का नाम] सक्षम प्राधिकारी,
[राज्य का नाम]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत राज्य [राज्य का नाम] में एग्रीगेटर के रूप में संचालन हेतु लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ ।

1.	पूरा नाम	
2.	प्रधान कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगम ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और संपर्क विवरण	1. 2. 3.
6.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ई-मेल	
7.	संचालित किये जाने वाले प्रस्तावित वाहनों की संख्या (प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक तथा परमिट विवरण, जैसा लागू हो, सहित एक पृथक सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का विवरण	
9.	अन्य अवसंरचना का विवरण	
10.	उन सर्वरों के स्थान का विवरण जहां डेटा संग्रहीत करने का	

	प्रस्ताव है	
11.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दाखिल रिटर्न का विवरण । (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	
12.	भुगतान किये गए आवेदन शुल्क का विवरण	रू.
13.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

मैं इस प्रकार घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैंने मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भित विधानों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता/करती हूँ और सहमत हूँ।

स्थान:

तारीख:

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र II

[खंड 7.2 देखें]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत एग्रीगेटर के लिए लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

[पदनाम],
[राज्य का नाम] सक्षम प्राधिकारी,
[राज्य का नाम]

मैं, मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अंतर्गत राज्य [राज्य का नाम] में एग्रीगेटर के रूप में संचालन हेतु लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करता हूँ ।

1.	पूरा नाम	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों तो	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगम ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और संपर्क विवरण	1. 2. 3.
6.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ईमेल पता	
7.	संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित (वाहन का प्रकार) की संख्या। (प्रत्येक वाहन के वाहन क्रमांक और परमिट विवरण सहित एक अलग सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का विवरण	
9.	अन्य अवसंरचना का विवरण	

10.	उन सर्वरों के स्थान का विवरण जहां डेटा संग्रहीत करने का प्रस्ताव है	
11.	पिछले तीन वर्षों में दाखिल रिटर्न का विवरण। (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	
12.	लाईसेंस का विवरण : (क) लाईसेंस संख्या (ख) निलंबनों की संख्या, यदि कोई हो, तथा उसका ब्यौरा	
13.	भुगतान किये गये शुल्क का विवरण	रु.
14.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

मैं इस प्रकार घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे दी गई लाईसेंस को निरस्त किया जा सकता है, साथ ही मेरे खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई/कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मैंने मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के प्रावधानों को पढ़ लिया है, मैं इसे और यहाँ उल्लिखित संदर्भित विधानों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ।

स्थान:

तारीख:

आवेदकों के हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

प्रपत्र III

[खंड 4.7 देखें]

मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अधीन एग्रीगेटर के लिए लाईसेंस

[_____] को मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाईसेंस दिया जाता है ।

1.	एग्रीगेटर का पूरा नाम	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों	
4.	टेलीफोन नंबर, वेबसाइट पता और ईमेल पता	
5.	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा/मोटर कैब/मोटर साइकिल या बस की संख्या (एग्रीगेटर द्वारा प्रपत्र I/II में संलग्न सूची के अनुसार, जो भी लागू हो)	
6.	एग्रीगेटर किस प्रकार कार्य करेगा इसका विवरण	
7.	भुगतान किये गये आवेदन शुल्क का विवरण	
8.	प्रतिभूति जमा का विवरण	

लाईसेंस धारी को मोटर यान एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 में निहित सभी शर्तों का पालन करना होगा।

स्थान:

तारीख:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर